अजनाला कॉप. शुगर मिल्स लिमिटेड

बनाम

सुखराज सिंह

23 मई, 2007

[डॉ. अरिजित पासायत और डी. के. जैन, जे. जे.]

श्रम कानूनःऔद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947: धारा 25-एफ- सामयिक दैनिक कामगार- सेवाओं की समाप्ति- अभिनिर्धारित, यह काम करने वाले को स्थापित करना था कि उसने संबंधित वर्ष के दौरान, 240 दिनों से अधिक के लिए काम किया था- चूंकि श्रम न्यायालय ने नियोक्ता के इस रुख पर विचार नहीं किया कि कर्मचारी ने 240 दिन पूरे नहीं किए थे जो कि आवश्यक था और वह एक सामयिक दैनिक कामगार के रूप में काम कर रहा था, इसलिए मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजा गया।

प्रत्यर्थी, एक दैनिक कामगार की सेवाएं, समाप्त कर दी गई। श्रम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ के अनुपालन के अभाव में समाप्ति को अवैध ठहराया और उसकी बहाली का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने नियोक्ता की रिट याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि प्रबंधन के लिए मस्टर रोल

संधारण करना आवश्यक था, जो कि उनके इस तर्क का समर्थन करता कि प्रासंगिक अवधि के दौरान श्रमिक, एक सामयिक दैनिक कामगार ने 240 दिनों की अपेक्षित अवधि पूरी नहीं की थी, और वह रिकॉर्ड पेश करने में असफल रहे। पीड़ित नियोक्ता ने तत्काल अपील दायर की।

न्यायालय द्वारा, अपील का निपटारा करते हुए

अभिनिर्धारित- यह कामगार को साबित करना था कि उसने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था। उच्च न्यायालय ने विवाद की इस परिप्रेक्ष्य में उचित रूप से जांच नहीं की कि, श्रम न्यायालय ने अपीलान्ट के इस आधार पर विशिष्ट रूप से विचार नहीं किया कि कामगार ने 240 दिन तक कार्य नहीं किया था और उसने सामयिक दैनिक कामगार के रूप में कार्य किया था तथा समय समाप्ति के पश्चात उसकी कोई नियुक्ति नहीं थी। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए श्रम न्यायालय को भेज गया। [पैरा 7 और 8] [782-ए, बी]

रेंज वन अधिकारी बनाम एस.टी.हदीमानी [2002] 3 एस.सी.सी. 25, एसेन देइंकी बनाम राजीव कुमार [2002] 8 एस.सी.सी. 400 और बटाला को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम सोवरन सिंह [2005] 8 एस.सी.सी. 481, पर आधारित है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार- सिविल अपील सं. 2831/2007

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 19172/ 2003 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 11.12.2003 से।

अपीलार्थी की ओर से एम. सी. ढींगरा।

प्रत्यर्थी की ओर से दिनेश कुमार गर्ग, डॉ. भीम प्रताप सिंह और मनोज कुमार अहमद।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजित पसायत, जे. द्वारा पारित किया गया, अनुमति प्रदान की गयी।

1. इस अपील में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। रिट याचिका में श्रम न्यायालय, अमृतसर (संक्षेप में 'श्रम न्यायालय') के दिनांक 27-11-2002 के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 25-एफ. की आवश्यकताओं के अनुपालन के अभाव में प्रत्यर्थी की सेवाओं की कथित समाप्ति को अवैध माना गया था। प्रत्यर्थी को पिछले वेतन के साथ सेवा की निरंतरता के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया था। अपीलकर्ता का कहना था कि कर्मचारी ने सेवा समाप्ति की तारीख से पहले के 12 महीनों में 240 दिन पूरे नहीं किए थे और इसलिए, प्रबंधन को अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का पालन करने की

आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी 1991 में सेवा में शामिल हुआ था। सेवाएँ वर्ष 1993 में समाप्त कर दी गई। यह तथ्य विचार में लिया गया कि प्रबंधन, जिस पर कि मस्टर रोल का संधारण करने की जिम्मेदारी थी, अपने कथनों के समर्थन में रिकार्ड प्रस्तुत करने में असफल रहा कि उक्त अवधि के दौरान कर्मचारी ने 240 दिनों की आवश्यक अवधि पूरी नहीं की। तदनुसार, श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही पाया गया और रिट याचिका खारिज कर दी गई।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कामगार ने पिछले 12 महीनों में 240 दिनों से अधिक कार्य नहीं किया है। दावे के अलावा अन्य ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके विपरीत अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि प्रत्यर्थी ने 240 दिनों से अधिक कार्य नहीं किया है।

3. इस संबंध में श्रम न्यायालय के समक्ष दिए गए दावे का संदर्भ दिया गया था कि कामगार दैनिक मजदूरी के आधार पर लगा हुआ था और उसकी सेवाएं केवल सामयिक थी। विशेष रूप से यह दावा किया गया था कि सीज़न समाप्त होने के बाद प्रत्यर्थी कामगार नहीं आया और उसने 240 दिनों की सेवा पूरी नहीं की थी। वह अपीलकर्ता का स्थायी कर्मचारी नहीं था इसलिए, संदर्भ मानने योग्य नहीं था। चूँकि कर्मचारी को केवल

सामयिक कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, इसलिए सीज़न समाप्त होने के बाद उसकी सेवाएं जारी नहीं रखी जा सकती थी।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि श्रम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया और स्पष्ट रूप से माना कि अपीलकर्ता 240 दिनों से अधिक समय से काम कर रहा था। इस संबंध में कुछ दस्तावेजों का भी उल्लेख किया गया।

5. इस न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि कामगार को यह साबित करना होगा कि उसने 240 दिनों से अधिक काम किया है। (देखें: रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर बनाम एस.टी. हदीमनी (2002) 3 एससीसी 25, एसेन देइंकी बनाम राजीव कुमार (2002) 8 एससीसी 400, बटाला काे आपरेशन शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम सोवरन सिंह (2005) 8 एससीसी 481).

6. बटाला को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड (पूर्वोक्त) में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:

> "हमने पाया है कि उच्च न्यायालय का निर्णय एक से अधिक कारणों से स्थायी नहीं है। मोरिंडा को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम राम किशन और अन्य (1995) 5 एससीसी 653 में इसे इस प्रकार देखा गया:

4. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता पूरे सीज़न में काम नहीं कर रहे थे। वे केवल पेराई सत्र के दौरान ही काम करते थे। उत्तरदाताओं को सीज़न के लिए काम पर लिया गया था और सीज़न के बंद होने के परिणामस्वरूप, उन्होंने काम करना बंद कर दिया।

5. सवाल यह है कि क्या इस तरह की समाप्ति छंटनी के समान होगी। चूंकि यह केवल एक सामयिक कार्य है, इसलिए अधिनियम की धारा 2(ओओ) के खंड (बीबी) में जो कहा गया है, उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थीगण यह नहीं कह सकते की, कि उनकी छंटनी की गई है। ऐसी परिस्थितियों में, हमारी राय में श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अवैध है। हालाँकि, अपीलकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वह सीज़न के दौरान लगे सभी कामगारों के लिए एक रजिस्टर का संधारण करें और जब नया सीज़न शुरू हो तो अपीलार्थी को आस पास के स्थानों में एक प्रकाशन करवाना चाहिए जहां उत्तरदाता सामान्य रूप से निवास करते हो और यदि वे कार्य करने के लिए रिपोर्ट करें, तो अपीलार्थी उन्हें वरीयता व काम की आवश्यकता के अनुरूप नियुक्त करेंगे।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह कहना सही है कि यह स्थापित करना कामगार का कार्य था कि उसने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था। प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने कुछ दस्तावेजों का उल्लेख किया है, जिन्हें इस मामले में अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में दायर किया गया है। ये दस्तावेज श्रम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने विवादों की उचित परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं की कि क्या श्रम न्यायालय ने अपीलकर्ता के रुख पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया कि श्रमिक ने 240 दिन से अधिक काम पूरा नहीं किया है क्योंकि वह सामयिक दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहा था और सीज़न ख़त्म होने के बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसार उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है और मामले को पुनः विचार के लिए श्रम न्यायालय को भेजा जाता हैं।

9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मामला लंबे समय से लंबित है, श्रम न्यायालय से यह अनुरोध हैं कि पक्षकारों को उचित नोटिस देकर इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा किया जावे।

10. खर्चों के संबंध में कोई आदेश दिए बिना अपील का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।